

न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल, जिला-बैतूल (म.प्र.)

--: विविध आदेश :-

क्रमांक-126/सी.जे.एम./2021

बैतूल, दिनांक-23-05-2021

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल के विविध आदेश क्रमांक-115/दो-12-11/2014 बैतूल, दिनांक 23-05-2021 के पालन में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारियों द्वारा अत्यावश्यक कार्य/रिमाण्ड ड्यूटी के संबंध में दिनांक 24-05-2021 से दिनांक 30-05-2021 तक के लिये मैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल निम्न आदेश पारित करती हूँ:-

01. निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केवल व्ही0सी0 के माध्यम से दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक अपने न्यायालय में अपने कर्मचारियों की केवल 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करते हुये आवश्यक कार्य/रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

मुख्यालय:-बैतूल

सरल क्र०	दिनांक	अत्यावश्यक कार्य के लिये उपस्थित रहने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी
1	24.05.21	सुश्री पूर्वी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल। किसी कारणवश उनकी अनुपस्थिति में श्री अजय उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल द्वारा रिमाण्ड कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।
2	25.05.21	श्री कौस्तूभ खेड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल। किसी कारणवश उनकी अनुपस्थिति में श्री अजय उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल द्वारा रिमाण्ड कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।
3	26.05.21	श्री कौस्तूभ खेड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल। किसी कारणवश उनकी अनुपस्थिति में श्री अजय उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल द्वारा रिमाण्ड कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।
4	27.05.21	श्री अजय उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल। किसी कारणवश उनकी अनुपस्थिति में श्री कौस्तूभ खेड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल द्वारा रिमाण्ड कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।
5	28.05.21	श्री कौस्तूभ खेड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल। किसी कारणवश उनकी अनुपस्थिति में श्री अजय उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल द्वारा रिमाण्ड कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।
6	29.05.21	श्री अजय उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल। किसी कारणवश उनकी अनुपस्थिति में श्री कौस्तूभ खेड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल द्वारा रिमाण्ड कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।
7	30.05.21	श्री कौस्तूभ खेड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल। किसी कारणवश उनकी अनुपस्थिति में श्री अजय उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल द्वारा रिमाण्ड कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

तहसील:-मुलताई

सरल क्र०	दिनांक	अत्यावश्यक कार्य के लिये उपस्थित रहने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी
1	दि. 24.05.21 से दि. 30.05.21 तक	श्रीमती कमला गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई।

तहसील:-आमला

सरल क्र०	दिनांक	अवश्यक कार्य के लिये उपस्थित रहने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी
1	दि. 24.05.21 से दि. 30.05.21 तक	सुश्री रीना पिपल्या, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला।

तहसील:-भैसदेही

सरल क्र०	दिनांक	अवश्यक कार्य के लिये उपस्थित रहने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भैसदेही द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी
1	दि. 24.05.21 से दि. 30.05.21 तक	श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भैसदेही।

02. तहसील मुख्यालय-मुलताई, आमला एवं भैसदेही में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति की दशा में कार्यालयीन विविध आदेश क्र०-1020/2-22-1/94 बैतूल दिनांक 07-05-21 में संलग्न परिशिष्ट-अ के अनुसार आवश्यक कार्य/रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।
03. पक्षकारगण/अभिभाषकगण जमानत आवेदन/सुपुर्दगी आवेदन एवं अर्जेंट प्रकृति के आवेदन पत्र ई-मेल के माध्यम से ई-मेल आई.डी. ecourtbetul@gmail.com पर प्रेषित कर सकें और जूनियर सिस्टम एनालिस्ट श्री अमोल बाकरे, ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तुरंत संबंधित पीठासीन अधिकारी के समक्ष ई-मेल से प्रेषित करेंगे। ई-मेल करने अथवा व्ही० सी० के माध्यम से सुनवाई होने में कोई समस्या उत्पन्न होने पर जूनियर सिस्टम एनालिस्ट श्री अमोल बाकरे के मोबाईल नंबर-90749-59968 पर तथा सिस्टम असिस्टेंट श्री अजय विश्वकर्मा के मोबाईल नंबर-98060-02600 पर संपर्क करें।

23/5/21
अनीता खजूरिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल
जिला-बैतूल (म.प्र.)

पृष्ठा. क्रमांक-126/सी.जे.एम./2021

बैतूल, दिनांक- 23.05.2021

प्रतिलिपि :-

- (1) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- (2) श्री दीनानाथ वाडीवा, जिला रजिस्ट्रार बैतूल।
- (3) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैतूल/मुलताई/भैसदेही/आमला श्री विनोद अहिरवार।
- (4) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैतूल/मुलताई/भैसदेही/आमला।
सुश्री पूर्वी तिवारी/श्री कौस्तूभ खेड़ा/श्री अजय उइके/श्रीमती कमला गौतम/सुश्री रीना पिपल्या।
- (5) प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल
- (6) अभिभाषक संघ, बैतूल/मुलताई/भैसदेही/आमला
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (7) लोक अभियोजक/अति. लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी
बैतूल/मुलताई/भैसदेही/आमला की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (8) जूनियर सिस्टम एनालिस्ट/असिस्टेंट सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए. बैतूल की ओर
उक्त विविध आदेश की प्रति संबंधितों की मेल आई.डी. पर प्रेषित किये जाने हेतु।

23/5/21
अनीता खजूरिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल
जिला-बैतूल (म.प्र.)